Title: Regarding order passed by the Allahabad high Court over implementation of the recommnedations of the Justice Rangnath Commission set up to look into the atrocities on the Sikh Riots of 1984.

MR. SPEAKER: The House will now take up the 'Zero Hour' submissions.

Shri Mulayam Singh Yadav.

**श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) :** अध्यक्ष महोदय, यह बात पेश करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सन् 1984 में सिखों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं और वह कई आयोगों और जांचों के माध्यम से साबित भी हो चुकी हैं और हम इस सवाल को बार-बार सदन में और जनता के बीच भी उठा चुके हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया और नीयत देखकर कई बार मजबूरी में यह सवाल विधान सभा में और यहां भी उठाना पड़ रहा है।

मैं आपके सामने संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। 1984 में सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसे लेकर श्री रंगनाथ मिश्र जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना। उसकी सिफारिशें और रिपोर्ट भी आ गई। मैं रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ न कह कर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। वह रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में मुख्य बात यह थी कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार की लड़कियों की शादी, पढ़ाई, हर माह के रहन-सहन का खर्च, भत्ते की व्यवस्था की जाए और मृतकों के परिवार के सदस्यों के लिए दुकानें, विधवाओं के भरण-पोाण के लिए 15 हजार रुपए प्रति माह तथा एक मुश्त 50 हजार रुपए उन विधवाओं को दिए जाएं। ये रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें थीं। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में उस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। रिपोर्ट में यह भी बात थी कि कुछ अधिकारी इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए एक जज की नियुक्ति की गई लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि इस बीच हमारी सरकार हट गई और भाजपा व बसपा सरकार ने तुरन्त सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया । इसके बाद मजबूर होकर जनता के हितों को देखते हुए इस मामले के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिये जाना पडा । मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हाई कोर्ट का जो एक जजमैंट आया, मैं उसे पहली बार लोक सभा में इसलिए अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं जिससे अध्यक्ष जी आपको समझने में आसानी हो और आप इसे गम्भीरता से ले सकें। 11 मई के जजमैंट में लिखा है

> "It is really unfortunate that the State Government had flouted the orders passed by this Court. It is expected that the State will respect the rule of law. But in the present case, it acted contrary to the rule of law. The matter is serious. But in view of the persistent requests made by the learned Chief Standing Counsel, we order the case to come up on Monday, 15th May - today.
>
> In case on that date the order cannot be complied, the Court will take serious view of the matter. "

अभी 11 मई 2000 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया। मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया। हम यह बात इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि 14 दिसम्बर को दूसरा आयोग बिठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की उसके सम्बन्ध में यह राय आई है कि आयोग पर खर्चा करने के लिए उसके पास धन नहीं है जबकि तुरन्त खर्चा केवल 13000 से 15000 रुपए का था। सरकार के पास 13 हजार से 15 हजार रुपए खर्चा करने के लिए नहीं हैं। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने भी कोई आयोग बिठाने की बात कही है। आप इस मामले को और कितना लम्बा खींचेंगे? एक बार जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वह घटना नहीं, जुल्म और अत्याचार हत्या, आगजनी व लूटपाट की घटना थी, उसकी याद दिलाना देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। इससे कई सम्प्रदायों में कटुता बढती है। मैं इस अवसर पर अपील करना चाहता हूं कि आखिर सरकार का इस बारे में क्या रवैया है? उत्तर प्रदेश सरकार 15 हजार रुपए खर्चा नहीं कर सकती, उसके मंत्रिमंडल में 91 से लेकर 93 मंत्री हैं। अभी एक खबर छपी है कि एक माह का लगभग तीन करोड़ रुपए जेब खर्चा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का केवल जेब खर्च तीन करोड़ रुपए प्रति माह है।

**श्री सोमनाथ चटर्जीः** चाय-पानी का कितना खर्चा है?

**श्री मुलायम सिंह यादवः** चाय-पानी और दूसरे खर्चे अलग हैं।...(व्यवधान) चाय-पानी के अलावा और भी खर्चे हैं। क्या चार करोड़ रुपए खर्चे हो सकते हैं? पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास 13 हजार रुपए से 15 हजार रुपए नहीं हैं।

आज प्रदेश सरकार की फिजूलखर्ची इतनी है, उसके बाद भी उन सिखों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब हम केन्द्र सरकार की राय जानना चाहते हैं कि जब आपके पास 15-20 हजार रुपया नहीं है तो नया आयोग गठित कब होगा? उसके लिए दफ्तर नहीं है, जज की नियुक्ति नहीं की गई है। इसको 16 साल हो गए, और कितना लंबा खींचना चाहते हैं? उसके बाद जो न्यायालय ने फैसला किया है और अपना दृटिकोण लिया है, उस दृटिकोण मानने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। इसलिए हम यहां पर सरकार की निन्दा करते हैं। केन्द्र सरकार जानते हुए भी अनदेखी करे तो यह पूरा जुल्म राजनीति सिखों के साथ होगा । वोटों की राजनीति सिखों के साथ करते हो लेकिन उन्हीं सिखों के खिलाफ यह सरकार है। अभी तक तो हम समझते थे कि यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है। यह सरकार अकाली दल के साथ है लेकिन सिखों के भी खिलाफ है। केवल वोट की राजनीति इनको करनी है। ये सरकार देश में नफरत फैला रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हमारे देश में आंतरिक एकता नहीं है और पड़ोसी देश उसका फायदा उठाते हैं। हमें अपने झगड़ों से ऊपर उठ कर देश के सामने जो खतरे हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। सरकार के इस काम की हम निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार कम से कम इस पर गंभीरता से विचार करे और गंभीरता से निर्णय लेकर दंगापीडितों को तत्काल मदद दें ।

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Sir, this is an important matter, the Government should respond to it...(*Interruptions*)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी भी बोलना चाहते हैं। â€¦( व्यवधान)

**श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ. प्र.) :** अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह अत्यंत संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में घटनाएँ हुई थीं, वहां की पीड़ा को उस समय मैंने देखा है और लोगों के मन में बड़ा दर्द है। आज पंजाब की हालत भी बिगड़ रही है। हमारे एक मित्र ने इस बारे में पिछले दिनों एक सवाल उठाया था। सारे इलाकों में आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उसका पालन नहीं होता है, जैसा मुलायम सिंह जी ने अभी आपके सामने फैसले को पढ़कर सुनाया तो इस पर केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश देना चाहिए ताकि कम से कम उस निर्णय का पालन हो, अन्यथा लोगों में अविश्वास बढ़ेगा जिसका नतीजा बुरा होगा। अविश्वास का वातावरण सारे देश में फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हम तुरन्त कोई कदम उठाएं तो ज्यादा अच्छा है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, I also endorse this.

**कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.):** यह बहुत गंभीर सवाल है। इस पर सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए। â€¦( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Since, this is an important matter,is there are response from the Government side?

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF MINES AND MINERALS (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, normally the responsibility would fall on the Minister of Parliamentary Affairs...

MR. SPEAKER: You are also a former Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: I can see that the hon. Speaker was looking at me very determinedly, therefore, I would like to respond to that. Sir, I wish to assure both the senior Members that I would communicate their feelings to the hon. Minister of Home Affairs and I am sure he will revert back to them.